बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना संख्या-5 न0वि०/गठन-31/2020- | ऽ । 7 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ वैशाली जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 में अंकित क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत नगर पंचायत महुआ का नगर परिषद् में उत्क्रमण, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या—4370 दिनांक—26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागु करते हैं :--

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम एवं थाना संख्या	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	नगर निकाय की चौहद्दी	नगर निकाय की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2 नगर परिषद	3	4	5	6
•	महुआ े	विशुनपुर तरौरा—141 भागवतपुर तरौरा—142 महुआ राम राय—147 नूरमोहम्मद चक—146 छतवारा कपूर—302 छतवारा रायभान—308 माधोपुर निझम्मा—140 छतवारा खासपट्टी—303 चकशेख निजाम—306 शेरपुर छतवारा—309	मंगुराही (आंशिक भाग) एवं शेरपुर छतवारा (पूर्ण भाग)	उत्तर—मंगुराही दक्षिण—रामपुर चन्द्रभान उर्फ डगरू पूरब—सुपौल टरिया पश्चिम—मधौल	40385

2. इस क्षेत्र को नगर परिषद महुआ कहा जायेगा।

3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ज्ञापांक—5 न0वि०/गठन—31/2020—) ५१७/ /न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक— ६०००००० असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

ज्ञापांक—5 न0वि०/गठन—31/2020— । ५) / न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक— १८०० । १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८०० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८०

प्रतिलिपि:-माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/महालेखाकार, बिहार, पटना / स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना / सचिव, के आप्त सचिव, नगर विकास एव आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक—5 न0वि0/गठन—31/2020— 15/7 /न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक—20/20/ प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना/निदेशक, जनगणना निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।